FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2025

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0033 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 09/09/2025 19:26 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	447
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 20/10/2005 **Date To (दिनांक तक):** 13/03/2019

   Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/09/2025 **Time (समय):** 18:20 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 025 **Date and Time (दिनांक और समय):** 09/09/2025 18:31 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 6 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

      (b) Address (पता): जिला गुरुग्राम,

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

      District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name (नाम):** Jaipal

   (b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 20/04/1970 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**fbd, FARIDABAD OLD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**fbd, FARIDABAD OLD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9818514166

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	एस०सी० बासु प्रोजेक्ट मैनेजर			1. मैसर्ज वाटिका सिटी सै0-49 GGM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
2	उमेश चन्द श्रीवास्तव the then Vice President Infrastructure			1. M/s Vatika Pvt Ltd GGM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
3	Ms Vatika Pvt Ltd.			1. M/s Vatika Pvt Ltd GGM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
4	Ms Vatika Pvt. Ltd. through its CMD and MD			1. M/s Vatika Pvt Ltd,GGM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
5	आनन्द कुमार अधीक्षक अभियन्ता सेवानिवृत			1. यमुनाजल सेवायें,सर्कल फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
6	रविकान्त पाहुजा तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता सेवानिवृत			1. जल सेवा मण्डल,नूहँ,NUH,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक थाना,राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम। विषय - प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे। श्रीमान जी, जाच कमाक 04 दिनांक 13.03.2019 गुरूग्राम की पड़ताल मन निरीक्षक द्वारा की गई थी। जांच में आरोप यह था कि "गाँव झाडसा की बांध की जमीन पर सोहना रोड सैक्टर-49 गुरुग्राम के नजदीक मैसर्स वाटिका लिमिटेड ने अपने बनाये गये हाउसिंग प्रोजेक्ट की रिहायशी टॉवर के साथ लगती बांध की जमीन को पेड़-पौधे लगाकर हरे-भरे रखने के नाम पर सिंचाई विभाग नूंह से परमिशन लेकर वा सिचाई विभाग व वन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों से सांठ-गाठ करके बांध की जमीन को लैवल करके आने-जाने का रास्ता बंद करके अपनी जमीन में मिलाकर टैनिस कोर्ट बनाकर अपना अवैध कब्जा करके सरकार को करोड़ो रूपये की वित्तीय हानि पहुंचाई है।

जाच की पड़ताल उपरान्त पाया गया कि सोहना की तरफ से पहाड़ों का पानी गुरुग्राम से लगते हुये कई गाँवों से होते हुये गाँव झाडसा तक की राजस्व सीमा में आने की वजह से वर्ष 1836 में 10.05 किलोमीटर (36.23 एकड लम्बाई एवं 20-35 फुट चौडाई) गुरुग्राम की राजस्व सीमा के गाँव झाडसा, ईस्लामपुर, घासौला, फाजलपुर इत्यादि गाँवों से गुजरने वाले झाडसा बाँध का निर्माण किया गया था जिसका नाम झाडसा बाँध रखा गया था।

शहरी सम्पदा विभाग हरियाणा के नोटिफिकेषन नं0 LAC (G) NTLA-2003/845 दिनॉक 03.03.2003 के नियम 4 के अनुसार गाँव घसौला की राजस्व सीमा में 149.33 एकड जमीन रिहायशी व औधोगिक सैक्टर 49-50 के लिये अर्जित की जानी थी। जिसके लिये अवार्ड नं0 25 दिनांक 29.12.2005 को घोषित किया गया। उपरोक्त नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ भूमि मालिकों ने अपनी भूमि को अर्जित न करने बारे माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा, उच्च न्यायालय में याचिका नं0 10845/04 दायर की, जिसका फैसला दिनांक 16.07.2005 को आने के बाद उपरोक्त अवार्ड के तहत गाँव घसौला की खसरा नं० 5//19/1 8//16/1. 16/29/18/1/1, 19/2 10/22/1, 21/2, 22/1, 23/1, 11//11/2 मिन, 12/2 मिन 14/2 11//17 24, 14//2. 9. 10./2 15//10/2, 11/1, 20/2 16//5/2 6/1/115/116/1 18/1/2, 19//15, 16, 20//2/1, 10, 18/2,23/221//2/33/2 22//11/1, 11/2, 12, 13, 25//8. 12/1, 13/1 मिन, 13/3/1, 13/3/2 मिन, 14 मिन 26//2/2 30, 31/1, 31/2, 35 व 37 में से केवल 26.40 एकड जमीन Land Acquisition Collector Urban Estates गुरुग्राम द्वारा सैक्टर 49-50 गुरुग्राम के लिये अर्जित की गई थी। जिसमें से खसरा नं0 35 के अनुसार 31 कनाल 9 मरला जमीन झाडसा बांध की अर्जित की गई थी। जो उपरोक्त सारी अर्जित भूमि को रपट नं0 287 दिनाँक 29.12.2005 अनुसार श्री ओम प्रकाश, कानूनगों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरुग्राम के हवाले किया गया था। परन्तु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरूग्राम विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि बारे कोई इतकाल दर्ज नहीं कराया गया है।

शहरी सम्पदा विभाग, हरियाणा की अधि सूचना न० LAC(G) NTLA-2003/845 दिनांक 03.03.2003 के क्रमाक सख्या 4 के अनुसार गावं घसौला की राजस्व सीमा में 149.33 एकड जमीन रिहायशी व ओयोगिक क्षेत्र सेक्टर 49-50 के लिए अर्जित की जानी थी। जिसके लिए अवार्ड न0 25 दिनाक 29.12.2005 को घोषित किया गया। उपरोक्त अवार्ड के तहत गांव घसौला की 26.40 एकड जमीन Land Acquisition Collector, Urban Estate, गुरुग्राम द्वारा से० 49-50 गुरूग्राम के लिए अधिग्रहण की गई थी। जिसमे खसरा न० 35 की 31 कनाल 9 मरला जमीन झाडस बान्ध की अर्जित की गई थी। उपरोक्त सारी अर्जित भूमि को रपट नं0

287 दिनांक 29.12.2005 के अनुसार श्री औम प्रकाश, कानूनगों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरुग्राम के हवाले किया गया था। परन्तु हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि बारे कोई इन्तकाल आज तक दर्ज नहीं करवाया गया है।

इसके पश्चात हरियाणा सरकार की अधिसूचना नम्बर 18/1/95/ 2008-3 सी० दिनॉक 02.06.2008 के अनुसार आयुक्त, नगर निगम, गुरूग्राम के आदेश पर राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का इतकाल दिनांक 24.02.09 को नगर निगम गुरुग्राम के नाम मौजुदा रिकार्ड में दर्ज होना पाया गया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि का मालिकाना हक नगर निगम गुरुग्राम के नाम है।

सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग के नोटिफिकेशन नं0 S.O. 163/C.A. 16/27/S. 29/72 Dated 06.10.1972 तथा S.O. 11/CA. 16/29/S 27/88 Dated 01.01.1988 के नोटिफिकेशन के अनुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अनुसार गुरूग्राम मण्डल की सडको रेल, बरसाती नालों, नहरों बान्धों को संरक्षित वन क्षेत्र में घोषित करके रख रखाव हेतु वन विभाग को सौपा जाना पाया गया है। जिस सूची में झाडसा बॉन्ध भी सम्मिलित पाया गया है। उपरोक्त गजट नोटिफिकेशन के अनुसार झाडसा बॉन्ध का रखरखाव वन विभाग के पास है।

दूसरी तरफ निदेशक हरियाणा शहरी एवं विकास प्राधिकरण पंचकूला द्वारा सोहना रोड के नजदीक HSVP के सैक्टर-49 गुरुग्राम में करीब 37 एकड़ भूमि पर रिहायशी क्षेत्र करने हेतू मैसर्ज वाटिका सिटी को अनुमति दी गई। सुभाष चन्द्र वासू (ए०सी० वासू) सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर मैसर्ज वाटिका लिमिटिड द्वारा दिनांक 20.10.2005 को कार्यकारी अभियन्ता, मेवात जल सेवाये, नूंह को पत्र लिखकर अपने काम्पलैक्स के साथ लगते झाडसा बॉन्ध पर Approach road बनाने एवं बान्ध के रखरखाव हेतु अनुमति मांगी गई। उपरोक्त पत्र पर आर०के० पाहुजा, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता मेवात जल सेवाये द्वारा अपने कार्यालय के पत्र कमांक 5567-68/1डब्लू दिनांक 27.10.2005 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो पर अनुमति प्रदान की गई "The Executive Director Vatika Greenfield Pvt. Ltd. 95-Nehru Place, New Delhi-19, With reference to your application and affidavit dated 20.10.2005 forwarded by SDO Gurgaon water services subdivision Gurgaon, Your request has been considered and permission of approach road, crossing over Jharsa bund and RD 29200 is hereby granted, along with permission of maintenance of the bund from RD 28115 to 29550 on the following terms and condition:

(1) All cost of construction of approach road and maintenance of bund shall be borne by your company. The original designed section of the bund shall be maintained without disturbing its drainage function, existing plantation and Pucca Structures of the Bund.

(2) Your company shall not claim any type of ownership right on the bund and its land. The permission granted shall not be used for the purpose other than provided in the undertaking The company will obtain NOC from other concern departments if required.

(3) Irrigation Department being owner of the bund shall be free to carry but inspection and other activities, like Special repairs any modifications in design, flood protection works etc.

(4) No commercial use of bund, encroachments, raising any structure and putting holdings, sign boards etc will be permitted on the bund at any stage

(5) Your company shall abide by all terms and conditions strictly, in case of any violation or eventuality arising due to flood or other natural calamity on needed by Govt the granted permission shall be ceased automatically.

जांच के दौरान उपरोक्त अनुमति देने के संबंध में जब रविकान्त पाहुजा, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, सिचाई एवं जल सेवाएं, नूह से पूछताछ की गई तो उन्होंने The Haryana canal and Drainage Act, 1974 की धारा 15 (Liability of persons to construct works for passage of water) का हवाला दिया। The Haryana canal and Drainage Act, 1974 की धारा 15 के अनुसार "Liability of persons to construct works for passage of water (1) The Divisional Canal Officer may issue an order to the persons using any water-course to construt suitable bridges, culvert or other works for the passage of the water of such water course across any public road canal or drainage-channel in use fefore the said watercourse was made, or to repair any such works." The Haryana canal and Drainage Act, 1974 की धारा 15 के अवलोकन से पाया गया कि Divisional Canal Officer किसी water-course से

पानी के बहाव को सुनिश्चित करने की अनुमति दे सकता है। परन्तु इस मामले में तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता रवि कान्त पाहूजा ने M/s Vatika Pvt. Ltd. को Approach Road की अनुमति दी जबकि वास्तव में M/s Vatika Pvt. Ltd. को Approach Road की कोई आवश्यकता कभी थी ही नहीं। साथ ही तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता रविकान्त पाहूजा द्वारा झाडसा बान्ध की RD-28115 से RD-29550 तक रख रख रखाव की अनुमति भी M/s Vatika Pvt. Ltd. को दी जबकि रख रखाव का कार्य वन विभाग को वर्ष 1988 की हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत दिया हुआ था। तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता रविकान्त पाहुजा के इसी अनुमति आदेश की आड लेकर M/s Vatika Pvt. Ltd. ने सरकार की 3 कनाल 18 मरला जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। अतः तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता रविकान्त पाहुजा ने गैर कानूनी अनुमति आदेश पारित कर M/s Vatika Pvt. Ltd. को नाजायज फायदा पहुंचाया तथा इसी अनुमति आदेशों का फायदा उठाकर M/s Vatika Pvt. Ltd. को ने उपराक्त जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है।

इसके उपरान्त मैसर्स वाटिका लिमिटेड की ओर दिनाँक 12.10.2009 को UC. श्रीवास्तव Vice President Infrastructure मैसर्स वाटिका लिमिटेड द्वारा एक पत्र आनन्द कुमार, तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता सिचाई विभाग फरीदाबाद के कार्यालय में Renovation plan of jharsa bund, at Sohna road Gurgaon के लिये लिखा गया। अधीक्षक अभियन्ता कार्यालय पत्र क्रमाक 10310-11/डी०ई०एस० 48 दिनांक 23.11.2009 के अनुसार मैसर्स वाटिका लिमिटेडझाडसा बांध की आर०डी० 28000-29500 तक बौध के Design के अनुसार बाँध को Renovate करेगी और हरी घास, फलदार वृक्ष Ornamental पौधों को अपने खर्च पर लगायेगी इत्यादि शर्तो पर मैसर्ज वाटिका लिमिटिड को बान्ध के रख रखाव के लिए दोबारा से अनुमति दी गई थी। यहाँ यह उल्लेख करना उचित हैं कि उक्त अनुमति देने से पूर्व कार्यकारी अभियन्ता ने अपने Comments में आनन्द कुमार तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता, सिचाई विभाग फरीदाबाद को वन विभाग सोहना रेन्ज द्वारा लिखे गये दो पत्र क्रमांक 273-एस० दिनोंक 17.09.2009 एवं 333-एस० दिनाँक 04.11.2009 का भी उल्लेख किया था जिसमें बतलाया गया था कि वाटिका सिटी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का कोर्ट केस माननीय अदालत में विचाराधीन है इस बात को आनन्द कुमार तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता ने भी अपने कथनों में स्वीकार किया है। उक्त केस में कार्यकारी अभियन्ता मेवात जल सेवाये नूह को भी Defendant बनाया गया था। आनन्द कुमार तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता को भी इस बात की पूर्णतः जानकारी होने के बावजूद उसने जानबूझकर सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुए मैसर्स वाटिका लिमिटेड के साथ साठ गाठ करते हुए दिनाक 23.11.2009 को दोबारा से बॉन्ध के रख रखाव की अनुमति देकर मैसर्स वाटिका लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया है तथा हरियाणा सरकार के हितों को हानि पहुँचाईहैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कार्यकारी अभियन्ता, सिचाई विभाग, डिविजन नूंह के पत्र कमांक 329-30/आर0डब्लू दिनाक 04.02.2010 के अनुसार अधीक्षक अभियन्ता ने अपने पत्र में लिखा है कि दी गई अनुमति की शर्तों Conditions No. 3-5 का उल्लघन मैसर्स वाटिका लिमिटेड द्वारा किया गया है। कार्यकारी अभियन्ता नूंह ने सुझाव दिया कि वाटिका सिटी झाडसा बाँध की अनुमति को सिर्फ 2 साल तक ही रखा जाये जिस पर अधीक्षक अभियन्ता Yamuna Water Services Circle Faridabad के कार्यालय के पत्र क्रमांक 3686-87/DES-48 दिनाक 13.04.2010 के द्वारा मैसर्ज वाटिका लिमिटिड द्वारा बान्ध के बाहरी तरफ 15 फुट ऊंची लोहे की ग्रील/जाली लगाने तथा बान्ध पर पक्का रोड बनाये जाने पर नियमों की उल्लंघना पाये जाने पर 7 दिन के अन्दर अन्दर जवाब देने हेतु नोटिस जारी करते हुए अनुमति की अवधि को 2 साल अर्थात 23.11.2009 से 23.11.2011 तक सीमित करने के आदेश पारित किया गये।

इसके अतिरिक्त कार्यकारी अभियन्ता, सिचाई विभाग नूंह द्वारा उपायुक्त गुरुग्राम को मैसर्स वाटिका लिमिटेड के झाडसा बाँध की जमीन पर अवैध कब्जा बारे पत्र क्रमांक 78/SDO dt. 08-05-2013 लिखा है। जिस पर उपायुक्त गुरूग्राम ने इसकी जाँच अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम को सौप दी। वर्ष 2016 में अतिरिक्त उपायुक्त, गुरुग्राम के आदेशानुसार उक्त भूमि पर अवैध कब्जा के सन्दर्भ में वन राजिक अधिकारी सोहना, तहसीलदार नगर निगम, तहसीलदार गुरुग्राम, नायब तहसीलदार नगर निगम. फिल्ड कानूनगो बादशाहपुर द्वारा तैयार की गई मौका की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 35 गैर मुमकीन बान्ध का 31 कनाल 9 मरला रकबा वाटिका सोसाइटी के साथ लगता है। जाच रिपोर्ट के अनुसार “मौका निरीक्षण से पाया गया कि वाटिका कम्पनी ने अपने मैत्री किरण स्कूल, जोकि बादशाहपुर के खसरा नम्बर 25/8,9,13,14,15 में स्थित है, के साथ लगते हुए दक्षिण

दिशा में खसरा नम्बर 35 गैर मुमकिन बांध की लगभग 3 कनाल 18 मरला भूमि पर मैसर्स वाटिका द्वारा अवैध रूप से लोहे का गेट, पार्क, सडक व टैनिस कार्ट बनाकर तथा पुख्ता चार दिवारी करके नाजायज कब्जा किया हुआ है जिसको अक्स शिंजरा में हरे रंग से दर्शाया गया है जिसकी बाजारी कीमत वर्ष 2016 में 10 करोड रूपये है।"

यहा यह उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (एस०) यमुना जल सेवायें पचकूला ने दिनांक 08.04.2011 को विभाग के अधिकारियों के साथ झाडसा बान्ध के क्षेत्र का निरीक्षण किया था। उन्होंने विभाग द्वारा बान्ध पर विभिन्न पक्षों को दी गई अनुमति के सम्बन्ध में अधीक्षक अभियन्ता की पावर को सन्देह जनक माना था। आनन्द कुमार अधीक्षक अभियन्ता यमुना जल सेवाये डिविजन फरीदाबाद ने अपने कार्यालय के पत्र कमाक 3102-03/Des. दिनाक 09.04.2011 द्वारा कार्यकारी अभियन्ता को पत्र जारी किया कि "During inspection of Bund of Gurugram area by worthy Chief Enginee (5) on 08.04.2011 with you Sub Divisional Officer concerned. Worthy Chief Engineer doubted the competency of such permission with Superintending Engineer. Accordingly the temporary permission is hereby withdrawn with immediate effect and the applicant be informed accordingly. If permission is required, the applicant may submit the case for permission afresh for approval from competent authority/Govt."

जांच के दौरान मैसर्ज वाटिका लिमिटिड से रिकार्ड प्राप्त किया गया। मैसर्ज वाटिका लिमिटिड द्वारा दिये गये रिकार्ड के अनुसार पाया गया है कि मैसर्ज वाटिका लिमिटिड में वर्ष 2007-2008 से ही अनिल भल्ला चैयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर तथा गौतम भल्ला मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर लगा हुआ है।

अतः मैसर्ज वाटिका लिमिटिड द्वारा झाडसा बान्ध की जमीन मैसर्ज वाटिका लिमिटिड के साथ लगती है। बान्ध के लगभग 3 कनाल 18 मरला रकबा पर मैसर्ज वाटिका लिमिटिड द्वारा अवैध रूप में लोहे का गेट, पार्क, सड़क व टेनिस कार्ट बनाकर तथा पुख्ता चार दिवारी करके नाजायज कब्जा किया हुआ है। उपरोक्त अवैध कब्जा शुदा जमीन बारे वर्ष 2016 में तत्कालीन उपायुक्त, गुरूग्राम द्वारा नियुक्त/गठित कमेटी जिसमें वन राजिक अधिकारी सोहना, तहसीलदार नगर निगम तहसीलदार गुरुग्राम, नायब तहसीलदार नगर निगम गुरुग्राम, फिल्ड कानूनगों बादशाहपुर गुरुग्राम द्वारा नाजायज कब्जा सिद्ध करते हुये सम्बन्धित बांध की जमीन की वर्ष 2016 में कीमत 10 करोड़ रूपये अंकित करना पाया गया तथा वर्तमान में राजस्व विभाग की रिपोर्ट अन्नसार उक्त जमीन की कीमत 15 करोड रूपये दर्शाई गई है। इस प्रकार मैसर्ज वाटिका द्वारा अधीक्षक अभियन्ता, यमुना जल सेवायें. फरीदाबाद द्वारा अनुमति रद्द करने के बाद भी बान्ध की जमीन को खाली ना करके सरकार की लगभग 15 करोड़ रूपये की जमीन पर अवैध कब्जा करके अपने निजी फायदा के लिये इस्तेमाल किया जा रहा हैं। जांच की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके उपरोक्त आरोपियान के विरूद्ध धारा 420,447,120बी भा०द०स० व धारा 13 (1) (डी) पी०सी० एक्ट 1988 के तहत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव देकर नियमानुसार पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम के पत्र कमांक 6651/ACB/GGM दिनांक 13.12.2023 के अनुसार महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पचकूला कार्यालय में भेजी गई।

अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 17641/1-2/SVACB(H) Dated 02.09.2025 व मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि कमांक 46/01/2019-6 V-III दिनाक 02.09.2025 के अनुसार जाच में अभियोग दर्ज करने के लिए आदेश प्राप्त हुये हैं। इन आदेशों के अनुसार एस.सी. बासु प्रोजैक्ट मैनेजर, मैसर्ज वाटिका सिटी सैक्टर-49 गुरुग्राम, उमेश चन्द श्रीवास्तव, the then Vice President (Infrastructure), M/s Vatika Pvt. Ltd, M/s Vatika Pvt. Ltd. through its CMD and MD, आनन्द कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, यमुना जल सेवाये, सर्कल फरीदाबाद हाल सेवा निवृत व रविकान्त पाहुजा, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता जल सेवा मण्डल गृह हाल सेवानिवृत के विरूद्ध धारा 420.447 120बी भा०व०स० वं धारा 13 (1) (डी) पी०सी० एक्ट 1988 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने का सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी प्राईवेट व्यक्ति एवं सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उस बारे भी तफतीश किये जाने का सुझाव दिया गया था। अतः उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए ड्राफ्ट तहरीर अनुमोदन के लिए पुलिस अधीक्षक राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम कार्यालय के पत्र कमांक 5116/SVACB/GGM दिनाक 05.09.2025 के अनुसार मुख्यालय राज्य सर्तकता

एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकूला भेजी गई थी।

मुख्यालय राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला कार्यालय के पत्र कमांक न० 18100/1-2/ACB (H) दिनांक 09.09.2025 के अनुसार ड्राफ्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार करने के आदेश प्राप्त होने पर एस०सी० बासु प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्ज वाटिका सिटी सैक्टर-49 गुरुग्राम् उमेश चन्द श्रीवास्तव, the then Vice President (Infrastructure), M/s Vatika Pvt Ltd., M/s Vatika Pvt. Ltd. through its CMD and MD, आनन्द कुमार, अधीक्षक अभियन्ता, यमुना जल सेवायें, सर्कल फरीदाबाद हाल सेवा निवृत व रविकान्त पाहुजा, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता जल सेवा मण्डल, नूहँ हाल सेवानिवृत के विरूद्ध धारा 420,447 120बी भा०द०स० व धारा 13 (1) (डी) पी०सी० एक्ट 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए पुलिस अधीक्षक राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम कार्यालय के पत्र क्रमांक 5168/SVACB/GGM दिनाक 09.09.2025 के अनुसार ड्राफ्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट मुख्यालय राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला भेजी गई थी। मुख्यालय राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पचकूला कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 18143/1-2/ACB (H) दिनांक 09.09.2025 के अनुसार अनुमोदन होकर प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम द्वारा मन निरीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मार्क की है। आज मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो. गुरूग्राम हूँ कि उपरोक्त आरोपियान के विरूद्ध धारा 420,447,120 बी भा०द०स० व धारा 13 (1) (डी) पी०सी० एक्ट 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर तैयार करके स०उ०नि० मंजीत न० 598/दादरी के माध्यम से थाना राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम भेजी जा रही है। अभियोग अकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार उच्च माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे। अभियोग की असल फाईल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतू DSP गौरव फौगाट,ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक, रा0 स0 एवं भ्र0नि0ब्यूरो गुरुग्राम के पास भिजवाई जावे । अज- कार्यालय रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यु गुरुग्राम । JAIPAL INSP. निरीक्षक जयपाल सिंह, रा.स. एवं भ्र०नि०ब्यु०गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम। दिनांक 09.09.2025, समय- 6.15 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम भेजा जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले स०उ०नि० मंजीत न० 598/दादरी के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु DSP गौरव फौगाट राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** GAURAV FOGAT **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.